न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

बईजलास श्रीमती ओम प्रभा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या – 37/2016

1. प्रभू पुत्र डेडाराम जाति अहिर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1. कासीम अली पुत्र बुनियाद अली

2. मुंसफ अली जोजे मुमताज अली पुत्र तफज अली

जातियान काजी (मुसलमान) निवासीयान कोठी खेडी तन खेतडी जिला झुन्झुनु

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इष्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात

निर्णय दिनांक : 18/8/17

वकील वादी ने एक वाद बाबत इष्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात का पेष कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 474/0.35, 478/0.07, 479/0.21, 480/0.22, 481/0.22, 482/0.18, 483/0.21, 484/0.19 वाके मौजा कांसली तहसील कोटपूतली में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 254, 255, 256, 257, 258, 262, 263, 264 के मिन जूमले बरामद हुये है। जिस पर वादी अपने पिता के फूट स्टेप से काबिज है मौके पर आज भी वादी का कब्जा है। उक्त भूमि पर राजस्थान काष्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही वादी व उनके बुजुर्गान का कब्जा चला आ रहा है जिससे वादी राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप खातेदार काष्तकार हो गये थे, किन्तु राजस्व कर्मचारीयो ने राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम का इन्द्राज नही किया और अभी तक कागजात माल में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण व उनके पूर्वजो का आराजी पर कब्जा होने के कारण खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 तक में उनकी काष्त की जींस का इन्द्राज भी है जो नकल खसरा गिरदावरी सलंग्न है और अर्सा 50 साल से अधिक समय से वादीगण काबिज होने की बिना पर वादीगण बाई वे आफ एडवर्स पजेषन खातेदार काष्तकार होने के मुष्तहक है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मौके पर कोई कब्जा नही है ना ही कभी कब्जा रहा ना ही ये गांव में कभी रहे, ना ही किसी

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

व्यक्ति ने इनको देखा है ना ही इनके बारे में किसी ने कुछ सुना है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात साल तक उसके जीवित होने के बारे में ना सुना जावे ना देखा जावे तो उसकी सिविल मृत्यु की अवधारणा की जाती है। वादी ने कोठी खेडी (खेतडी) में भी पुछताछ की व मालुम किया वहॉ भी इन व्यक्तियो को किसी ने नही देखा ना ही इनके बारे में सुना है, ना ही इनके वारिसान के बारे में कोई मालूम हुआ है। इसलिए वादी कागजात माल में अपना नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटवाने का मुस्तहक है। इसलिए वादी ने राजस्व कर्मचारियो से कहा कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादी को आराजी का खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे परन्तु कारकूनान राज ने कागजात माल में दुरूस्ती नही की व आजकल आजकल करते रहे। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील जरिये तामील कुनिन्दा करवाई गई तथा उसके पष्चात जरिये अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 01.03.2013 को जयपुर संस्करण एवं झुंझुनु में करवाई गई। साधारण एवं अखबार साया तामील करवाये जाने के बावजुद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेष 23 नियम 1 सी.पी.सी. का पेष करने पर स्वीकार कर वादी संख्या 2 लगायत 5 का नाम हजफ किया गया।

दरख्वास्तगुजार उमराव द्वारा जरिये वकील श्री उमाकान्त भारद्वाज एक प्रार्थना पत्र आदेष 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेष करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रभू का बयान शपथ पत्र पेष किया तथा वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबन्दी प्रदर्ष 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्ष 2 व 3, गिरदावरी प्रदर्ष 4 लगायत 20, मिसल हैकियत सम्वत 2005 प्रदर्ष 21, लगान रसीदे प्रदर्ष 22 लगायत 51, हाल जमाबन्दी प्रदर्ष 52 पेष किया है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 254, 255, 256, 257, 258, 262, 263, 264 जिसके हाल खसरा नम्बर 474/0.35, 478/0.07, 479/0.21, 480/0.22, 481/0.22, 482/0.18, 483/0.21, 484/0.19 वाके मौजा कांसली तहसील कोटपूतली में स्थित है। वादी अपने बुजुर्गान के समय से अर्सा कदीम यानि राजस्थान काष्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज रहकर काष्त करता चला आ रहा है। परन्तु उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का व्यक्ति ना तो गॉव में है ना ही इस नाम के व्यक्तियो को किसी ने देखा ना इनके बारे में सुना गया, झुंझुनु स्थित गांव में भी

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

पता करने पर मालुम चला कि इस नाम के व्यक्तियो को ना तो यहा कभी देखा गया ना ही इनके बारे में सुना है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा व अडचन के काबिज रहकर मौके पर काष्त करता चला आ रहा है। राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन के पूर्व से ही वादी उक्त भूमि पर बतौर काष्तकार काबिज है। राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन के पष्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बिस्वेदारी राजस्थान सरकार में निहित हो गई। वाद के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2033 पेष की जिसमें काष्तकार के खाने में वादी का नाम अंकित है तथा मिसल हैकियत सम्वत 2005 में भी वादी का नाम काष्तकार के खाने में अंकित है। लगान की रसीदे एवं गिरदारी स्लीप भी वाद के समर्थन में पेष की है जो वादी द्वारा ही जमा करवाई गई है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से वादग्रस्त आराजी की जो मौका रिपोर्ट तल्ब करवायी गई है उसमें भी वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा दर्षाया गया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वादी उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का मुष्तहक है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेष किये – आर.आर.डी. 1991 पेज 112, आर.आर.सी. 1988 पेज 178, आर.आर. सी. जून–जूलाई 1987 पेज 234, आर.आर.सी दिसम्बर 1989 पेज 663, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 250, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 802, आर.एल.डब्ल्यू.2002 आर.जे. पेज 562

हमने बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबन्दी प्रदर्ष 52 के अवलोकन से जाहिर है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है। प्रदर्ष 2 व 3 मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बरान जिन साबिक खसरा नम्बरान से बरामद हुये है अंकित है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्ष 4 लगायत 20 चतुवर्षीय खसरा गिरदावरिया सम्वत 2012 से 2033 पेष की है जिनके खाना नम्बर 5 अर्थात जागीरदार, बिस्वेदार के खाने में प्रतिवादी कासीम अली का नाम अंकित है तथा खाना नम्बर 6 काष्तकार के खाने में वादी प्रभू पुत्र डेडा का नाम अंकित है इससे स्पष्ट है कि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर लगातार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज रहकर काष्त करता चला आ रहा है। प्रदर्ष 22 लगायत 51 लगान की रसीदे है जो वादी ने वाद के समर्थन में पेष किया है जिसमें भी वादी प्रभू पुत्र डेडा का नाम अंकित है। वादी ने अपने बयान शपथ पत्र में भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है परन्तु मौके पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से बिस्वेदारी जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 लागू होने के पष्चात बिस्वेदारान के समस्त अधिकार समाप्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गये एवं वादी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है एवं तभी से ही वादी बतौर खातेदार काष्तकार काबिज चला आ रहा है परन्तु सहवन से प्रतिवादीगण का नाम अंकित चला आ रहा है। उक्त भूमि का लगान भी वादी राजकोष में जमा करवाता चला आ रहा है तथा वादी ने बयान शपथ पत्र में भी अपना कब्जा वादग्रस्त आराजी पर बताया है। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

लागू होने के पूर्व से ही वादी वादग्रस्त आराजी पर आज तक काबिज चला आ रहा है जिससे धारा 19 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत वादी को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा विचाराधीन भूमि की जो मौका रिपोर्ट तल्ब करवायी गई है उसमें वादी प्रभू का कब्जा अंकित किया है। वादी ने वाद के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त पेष किये है वे उक्त वाद पर पूर्णतया चस्पा होते है। इस प्रकार वाद एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं वादी के बयान तथा वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में पेष किये न्यायिक दृष्टान्त आदि से वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है। इस स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आदेष दिये जाते है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 474/0.35, 478/0.07, 479/0.21, 480/0.22, 481/0.22, 482/0.18, 483/0.21, 484/0.19 वाके मौजा कांसली तहसील कोटपूतली में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर तहसीलदार कोटपूतली अमल हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/08/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)